पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग)

शिलांग, 3 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 48.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतदद्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में सलाहकार (बैंकिंग और उद्योग) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (बैंकिंग और उद्योग) भर्ती नियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता आदि**—उक्त पद की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. **निरर्हता**—जिसने

(क) किसी ऐसी महिला/पुरूष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

444 GI/06-2

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर-प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
1	2	3	4	5	6
1. सलाहकार (बैंकिंग और उद्योग)	01*(2006) *कार्यभार के आधार पर पद की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क', गैर-अननुसचिवीय	14300-400-18300 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जायेगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) :** केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्व-विद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो : (क) (i) पैतृक संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या (ii) पैतृक संवर्ग या विभाग में रु. 12000-16500 के वेतनमान वाले पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :	लागू नहीं	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा

12

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से बैचलर डिग्री या समकक्ष।

(ii) बैंकिंग, बैंक वित्त या आयोजन के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव, या
औद्योगिक परियोजनाओं और लघु उद्योगों के संवर्धन में 12 वर्ष का अनुभव।

(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक अनुबंध की अवधि सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

[सं. एनईसी/एडीएम/21/2003]

एस. मित्रा, उप सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat, Shillong)

Shillong, the 3rd February, 2006

G.S.R. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Adviser (Banking and Industries) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Adviser (Banking and Industries) Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage, with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Adviser (Banking and Industries)	1* (2006) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A', Non-Ministerial	Rs.14300-400-18300	Not applicable	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment: whether by direct recruit or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which recruitment by promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
Deputation (including short-term contract)	**Deputation (Including short-term contract)** Officers of the Central Government, or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Universities Public Sector Undertaking or Semi Government or Autonomous or Statutory Organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following, educational qualifications and experience :	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

12

Essential :

(i) Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent.

(ii) Twelve years' experience of Banking, Bank finance and planning, or

Twelve years experience in promoting industrial projects and small scale industries

(Period of deputation or contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.

The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.).

[No. NEC/ADM/21/2003]

S. MITRA, Dy. Secy.